राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर

(e-mail : dir.socialaudit@rajasthan.gov.in, **Tel.- 0141-2227033, 2227725)**

क्रमांक : एफ.61(64) SSAAT/ कलैण्डर / 2020–21 / 6317-31 जयपुर, **दिनांक** : 11/02/2022

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

(आदेश संख्या:- 84/22)

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पारदर्शिता के तहत् आम जनता को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु दीवार लेखन (Wall Painting) के संबंध में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांकः एफ60(4)ग्रा. वि./नरेगा/सा. अंके./वॉल पे./2009–10 दिनांक 10.03..2010 एवं अ.शा. पत्रांक एफ 60 (12) ग्रा. वि./ नरेगा /सा. अंके./वॉल पे./ 20.10.11 दिनांक 16.05.2011 और एफ 61(24) ग्रा. वि./म.न. /नि. सा. अं./सामा. अंके. कलै./15–16/502–35 दिनांक 21.04.2015 तथा राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग परिसर, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय आदेश कमांक एफ.3( )राज.संवाद/2021–22/ 769–70 दिनांक 12.10.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक आदेशों के संदर्भ में **महात्मा गांधी नरेगा योजना** एवं **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 व 2020–21 में किये गये कार्यों की सूचना प्रत्येक ग्राम पंचायत की सहज–दृश्य दीवारों पर लिखवाया जाना है। इसमें मुख्यतः निम्न सूचना को निर्धारित प्रपत्रों में लिखवाया जाना है–

1. **महात्मा गांधी नरेगा योजना– (प्रपत्र संलग्न)**
   - योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध करवाये गये समस्त परिवारों का विवरण मय मजदूरी भुगतान
   - उक्त अवधि में कराये गये निर्माण कार्यों की सूचना (कार्य की माप, उस पर श्रम व सामग्री मद में व्यय की गयी राशि की सूचना सहित)
2. **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)– (प्रपत्र संलग्न)**
   - लाभार्थियों की सूचना
   - उनको **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना में दिये गये** श्रम दिवस की सूचना

उक्त सूचना प्रासंगिक आदेशों में संलग्न निर्धारित प्रपत्रों में लिखवाया जाना सुनिश्चित करवाएं। इसमें निम्नानुसार बिंदुओं का भी ध्यान रखा जाए :–

- दीवार लेखन कार्य सिविल सोसायटी संगठन के सदस्यों व चयनित ब्लॉक संसाधन व्यक्ति की देख–रेख में किया जाए।
- दीवार लेखन कार्य को ग्राम पंचायत के अतिरिक्त संबंधित राजस्व ग्रामों/वार्डो/मोहल्लों में भी किया जाना है, ताकि जिस ग्राम का जो कार्य है या जो लाभार्थी हैं, उनको उनके ग्राम में सूचना मिल सके।
- दीवार लेखन कार्य को राजकीय भवनों की दीवारों या चारदीवारी पर किया जाना है। यदि राजकीय भवनों की दीवारें पर्याप्त न हों, तो किन्हीं ग्रामवासियों की दीवारों का उनकी सहमति के आधार पर लेखन कार्य करावें।
- समस्त लाभार्थियों एवं कार्यो की सूचना निर्धारित प्रारूप में संबंधित राजस्व ग्रामों/वार्डो/मोहल्लों में राजकीय भवनों की दीवारों पर लेखन कार्य करावें।

- **महात्मा गांधी नरेगा योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** योजनाओं के अंतर्गत समस्त निर्माण कार्यों एवं लाभार्थियों का विवरण शुद्ध एवं वर्गीकृत रूप में लिखवाया जावें।
- **महात्मा गांधी नरेगा योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का दीवार लेखन कार्य अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि तक सम्पन्न किया जाना है।**
- दीवार लेखन कार्य से पूर्व समस्त सूचनाओं को निर्धारित प्रपत्रों में तैयार भी किया जाना है। इसके लिए समस्त विकास अधिकारी अपने अधीनस्थ **सहायक/कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक/ग्राम रोजगार सहायक** को समस्त सूचनाओं को निर्धारित प्रपत्रों में तैयार करने हेतु आदेशित कर उनकी सूचनाओं की एक प्रति पंचायत समिति में भी संधारित कर लें। इसे यथावश्यक ऑनलाइन रूप में भी अंकित व प्रदर्शित किस जा सकेगा।
- दीवार लेखन कार्य सम्पादन के लिए संबंधित विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे। वे समयबद्ध रूप में समस्त सूचना बनवाने व लिखवाने का दायित्व पूर्ण करेंगे।
- दीवार लेखन कार्य ऑईल पेंट से करवाया जाये जो कम से कम आगामी 5 वर्षो तक सुपाठ्य रूप में उपलब्ध रहे। इसमें आगामी वर्षो के लिये कॉलम लिखवाये जावें।
- दीवार लेखन (ऑईल पेंटिंग) कार्य बाबत जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा के दिशा निर्देशन में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में प्रचलित दिशा निर्देशों के अनुसार/नियमानुसार प्राप्त न्यूनतम दरों पर अथवा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर के कार्यालय आदेश कमांक एफ.3 ( )राज.संवाद/2021–22/ 769–70 दिनांक 12.10.2021 (समय–समय पर यथा संशोधित) में अनुमोदित फर्मो (Empanelled Firms) से उनके दिशा–निर्देशों के अनुसार एवं अनुमोदित दरों पर करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- लेखन कार्य की गुणवत्ता एवं मात्रा की जॉच सामाजिक अंकेक्षण के दौरान भी की जायेगी।
- उक्त कार्य की गुणवत्ता एवं मात्रा का वास्तविक भौतिक सत्यापन होने के उपरांत उक्त कार्य का भुगतान संबंधित जिला परिषद मुख्यालय द्वारा किया जायेगा।
- नियमित सामाजिक अंकेक्षण कैलेण्डर में वर्णित ग्राम पंचायतों का दिनांक 25.02.2022 तक दीवार लेखन कार्य सुनिश्चित करावें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(अपर्णा अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

क्रमांक : एफ.61(64) SSAAT/ कलैण्डर/2020–21/ जयपुर, **दिनांक** :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान।
3. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।

5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर
7. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा, राजस्थान।
8. निजी सचिव, निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गाँधी नरेगा एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त को पालनार्थ।
11. कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) एवं ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति, समस्त को पालनार्थ।
12. उप निदेशक / लेखाधिकारी (प्रशासन)/लेखाधिकारी(सामा.अंके.), सहायक लेखाधिकारी (समस्त)/कनिष्ठ लेखाकार (समस्त) एवं समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) को पालनार्थ।
13. प्रोग्रामर/सूचना सहायक, SSAAT को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश को सोसायटी की वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
14. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर
15. रक्षित पत्रावली।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक (SSAAT)

महात्मा गांधी नरेगा सामाजिक लेखा परीक्षा (सामाजिक अंकेक्षण) सूचना प्रपत्र (MG NREGA Social Audit Information Format)

जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत में कुल राजस्व ग्राम

वित्तीय वर्ष :– ....

कसं	ग्राम	कार्यों की संख्या			व्यय राशि			टिप्पणी /विवरण
		सामुदायिक कार्य	व्यक्तिगत कार्य	योग	सामुदायिक कार्य	व्यक्तिगत कार्य	योग	
	योग संपूर्ण ग्राम पंचायत							

ग्राम ____________________

कसं	कार्य का कोड	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि			कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि	कार्यकारी संस्था	व्यय राशि			माप विवरण माप पुस्तिका अनुसार (मीटर/फीट)				कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	टिप्पणी /विवरण
			श्रम	सामग्री	योग				श्रम	सामग्री	योग	लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई / गहराई	घनफल या क्षेत्रफल		

–: अभिप्रमाणन :–

प्रमाणित किया जाता है कि इस सूचना का माप पुस्तिका के अनुसार ही अंकन किया गया है व कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर				
नाम				
पद	(सहायक/कनिष्ठ अभियंता)	(कनिष्ठ तकनीकी सहायक)	(ग्राम विकास अधिकारी)	(कनिष्ठ सहायक/ग्राम रोजगार सहायक)

(रामावतार शर्मा)
निदेशक

देश :–

1 इस सूचना प्रपत्र का उपयोग सामाजिक अंकेक्षण सभा में जन सामान्य के सूचनार्थ व वॉल पेटिंग हेतु किया जाएगा। इसकी तैयारी सामाजिक अंकेक्षण से पहले निर्धारित तिथि तक कर लें। सूचना प्रपत्र की **4** तालिकाओं में से 2 तालिकाओं (द्वितीय व तृतीय तालिका) का प्रयोग वॉल पेटिंग हेतु किया जाएगा।

2 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के कार्य के लिए पृथक् प्रपत्र प्रयुक्त करें, ताकि वित्तीय वर्ष के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण किया जा सके।

3 प्रत्येक ग्राम/राजस्व ग्राम के कार्य के लिए पृथक् प्रपत्र प्रयुक्त करें, ताकि इस सूचना का संबंधित ग्राम के सामाजिक अंकेक्षण में जन सामान्य के सूचनार्थ व वॉल पेटिंग हेतु उपयोग किया जा सके।

4 जहां आवश्यक हो, वहां साक्ष्य के रूप में अन्य विवरण या अभिलेख संलग्न करें व टिप्पणी या विवरण का अंकन करें।

5 इस सूचना का माप पुस्तिका के अनुसार ही अंकन किया जाए व कोई तथ्य छिपाया नहीं जाए, अन्यथा तदनुरूप कार्यवाही का उत्तरदायी माना जाएगा।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी
(ग्रामीण विकास विभाग राज0 जयपुर)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

सामाजिक लेखा परीक्षा (सामाजिक अंकेक्षण) हेतु सूचना प्रपत्र (PMAY-G Social Audit Information Format)

जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत में कुल राजस्व ग्राम

वित्तीय वर्ष :– ....

कसं	ग्राम	लाभार्थियों की संख्या	टिप्पणी /विवरण
	योग संपूर्ण ग्राम पंचायत		

ग्राम______________________

कसं	जॉब कार्ड नं	PMAY ID No.	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्वीकृत राशि	आवास हेतु प्रदत्त किश्त राशि	आवास हेतु नरेगा में दिये गये श्रम दिवस	स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय राशि	योग	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	टिप्पणी /विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

–: अभिप्रमाणन :–

प्रमाणित किया जाता है कि इस सूचना का आधिकारिक अभिलेख के अनुसार ही अंकन किया गया है व कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर				
नाम				
पद	(सहायक/कनिष्ठ अभियंता)	(कनिष्ठ तकनीकी सहायक)	(ग्राम विकास अधिकारी)	(कनिष्ठ सहायक/ग्राम रोजगार सहायक)

(रामावतार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी
(... राज0 जयपुर)

निर्देश :-

1 इस सूचना प्रपत्र का उपयोग सामाजिक अंकेक्षण सभा में जन सामान्य के सूचनार्थ व वॉल पेटिंग हेतु किया जाएगा। इसकी तैयारी सामाजिक अंकेक्षण से पहले निर्धारित तिथि तक कर लें। सूचना प्रपत्र की 4 तालिकाओं में से 2 तालिकाओं (द्वितीय व तृतीय तालिका) का प्रयोग वॉल पेटिंग हेतु किया जाएगा।

2 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के कार्य के लिए पृथक् प्रपत्र प्रयुक्त करें, ताकि वित्तीय वर्ष के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण किया जा सके।

3 प्रत्येक ग्राम/राजस्व ग्राम के कार्य के लिए पृथक् प्रपत्र प्रयुक्त करें, ताकि इस सूचना का संबंधित ग्राम के सामाजिक अंकेक्षण में जन सामान्य के सूचनार्थ व वॉल पेटिंग हेतु उपयोग किया जा सके।

4 जहां आवश्यक हो, वहां साक्ष्य के रूप में अन्य विवरण या अभिलेख संलग्न करें व टिप्पणी या विवरण का अंकन करें।

5 इस सूचना का **आधिकारिक अभिलेख** के अनुसार ही अंकन किया जाए व कोई तथ्य छिपाया नहीं जाए, अन्यथा तदनुरूप कार्यवाही का उत्तरदायी माना जाएगा।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी
(ग्रामीण विकास [illegible] जयपुर)